



सत्यमेव जयते

संख्या- / जी0एस0(शिक्षा) / A15-36 / 2020

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टाउन (शीशमबाडा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 14 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2586, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	प्रत्येक सत्र में सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा	बी०एससी०-नर्सिंग	40	2020-21 एवं 2021-22

(1) फ़ैकल्टी मानकानुसार पूर्ण नहीं है व छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण हेतु किस हॉस्पिटल से करार किया गया है, उससे सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न नहीं हैं। इस क्रम में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(2) कॉलेज द्वारा छात्र-छात्राओं की शिक्षा गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं, इसकी सूचना एवं कॉलेज द्वारा छात्र-छात्राओं की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप/विजिट के लिए किस हॉस्पिटल के साथ करार किया गया है, तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(3) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः.....2/...

(5) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 4456 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A15-36/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)

उप सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।